

# झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,  
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के उन्हतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –
  - (i) यह अधिनियम झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
  - (ii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 का संशोधन-

2. झारखण्ड राय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-6 की उपधारा- (2) का संशोधन-

धारा-6 की उपधारा-(2) के वर्तमान प्रावधान- "प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है" को विलोपित किया जाता है।

यह विधेयक झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 21 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 21 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ।

अध्याय-1

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

प्रारम्भ

1. संशोधन विधेयक, 2018 का संशोधन -

- (i) यह विधेयक झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 कहा जा सकेगा।
- (ii) यह पुराने प्रभावी होगा।

अध्याय-2

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 का संशोधन -

2. झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक की धारा-6 की उपधारा- (2) का संशोधन -

धारा-6 की उपधारा- (2) के अन्तर्गत प्रावधान - 'प्रशासन महल' को पूर्व अनुवर्ति के विश्वविद्यालय किर्ली महाविद्यालय अथवा अन्य किर्ली सभा को संबद्ध कर सभा को विभाजित किया जायेगा।